समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

एकीकृत कार्य योजना की जिला चयन समिति द्वारा दिनांक–08.07.2013 की बैठक में निम्नलिखित सामुदायिक भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इस हेतु कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 3052 दिनांक 21.12.2013 द्वारा तकनीकि स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन एवं अंचल अधिकारी, ह0 खड़गपुर के पत्रांक 859 दिनांक 19.11.13 द्वारा भूमि की उपलब्धता के प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त इस सामुदायिक भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति अग्रलिखित शर्तों के साथ प्रदत्त की जाती है तथा निम्नवत राशि विमुक्ति का आदेश दिया जाता है–

क0	प्रखंड	योजना का नाम	भूमि का ब्यौरा	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त की जा रही राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	ह0 खड़गपुर	भीमबांध में पुलिस विभाग को दान में प्राप्त भूमि के एक भाग पर सामुदायिक भवन का निर्माण	मौजा–भीमबांध, थाना नं0– 412, खाता नं0–40, खेसरा–176 जमाबंदी–महामहिम राज्यपाल, बिहार सरकार पटना वास्ते पुलिस कैम्प	3602900.00	3602900.00	1800000.00

कुल विमुक्त की जा रही राशि मो0– 1800000.00 (अठारह लाख) रू0 मात्र।

शर्ते–

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को अग्रलिखित शर्तो के अधीन इस योजना का कार्य कराने का आदेश दिया जाता है–

1. कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकीकृत कार्य योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चि करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. राशि का संधारण एवं व्यय बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
4. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन अयन्त्र नही होगा।
5. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
6. योजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
7. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

8. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

9. कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो एवं वर्णित कार्य किसी अन्य मद से नही कराया जा रहा है।

10. यदि संबंधित भूमि गैरमजरूआ आम ज्ञात होती है तो कार्यान्वयन एंसेसी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सूनिश्चित कर लेगे कि राज्य सरकार के स्तर से भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

11. योजना स्थल किसी अन्य विभाग की भूमि हो तो कार्यकारी एजेंसी उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही योजना का कार्य प्रारंभ करायेगे।

12. योजना स्थल अंशतः या पूर्णताः वन क्षेत्र में पड़ता हो तो कार्यकारी एजेंसी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।

13. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित हो लेंगे योजना स्थल विवाद रहित हो।

14. योजना पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित विभाग को हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करेंगे।

15. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित हो लेंगे की संरचना भूकम्प निरोधी है।

ह०—

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 680/जि0यो0, दिनांक 30/12/13

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हे निदेश दिया जाता है कि जिला योजना कार्यालय, मुंगेर से उपरोक्त राशि का चेक प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— नाजीर, जिला योजना कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को स्वीकृत राशि का चेक हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

30/12/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

D:\Aman 5-3-11\Samsher Singh\LAP Prog\Amount Release\1st kist\Order samudavik bhawan 16-12-13.doc